

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 177-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०-08

दि० 19 फरवरी, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- दिनांक 01.01.2006 की पुनरीक्षित वेतन संरचना में मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के कार्मिकों को निम्न तालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य मकान किराया भत्ता				
दि० 01.12.08 से लागू				
क्रम सं०	ग्रेड वेतन/वेतनमान (रु०)	श्रेणी-ए, बी-1 तथा बी-2 के नगरों में	श्रेणी सी० के नगरों में	अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र
I	II	III	IV	V
1.	1900	1160	580	385
2.	2000	1200	600	400
3.	2200	1220	610	405
4.	2600	1500	750	500
5.	3000	1700	850	565
6.	4200	2020	1010	670
7.	4400	2050	1025	680
8.	5400	3150	1575	1050
9.	6600	3780	1890	1260
10.	8700	6910	3455	2300
11.	8900	7280	3640	2430
12.	10000	8200	4100	2730
13.	11000	8700	4350	2865

Handwritten signature/initials

(कमश: - 2)

(2)

श्रेणी ए, बी-1, बी-2, सी तथा अवर्गीकृत श्रेणी में आने वाले नगरों/क्षेत्रों से सम्बन्धित तालिका

श्रेणी	नगर/क्षेत्र
श्रेणी ए, बी-1, बी-2	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतम बुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र।
सी	नजीबाबाद, नगीना, चांदपुर, बिजनौर, चन्दौसी, सम्भल, अमरोहा, रामपुर, देवबन्द, सहारनपुर, रूढ़की, शामली, कैराना, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, भवाना, पिल्खुआ, हापुड़, मोदीनगर, खुरजा, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, हाथरस, मथुरा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, काजगंज, एटा, मैनपुरी, सहासवान, बंदायूं, पीलीभीत, उन्नाव, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, शाहबाद, गंगाघाट (जिला उन्नाव), रायबरेली, कन्नौज, उरई, फरुखाबाद-कम-फतेहगढ़, औरैया, इटावा, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, बेला, प्रतापगढ़, बहराइच, बलरामपुर, गौंझ, नवाबगंज, टांडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बस्ती, देवरिया, मउनाथभंजन, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, भदोही, मुगलसराय, मिर्जापुर-कम-विध्यांचल, गंगोह, खतौली, कीरतपुर, शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी, बेहटा, हाजीपुर, दादरी, जहांगीराबाद, उझानी, बहेड़ी, फरीदपुर, बीसलपुर, तिलहर, गोला गोकरणनाथ, छिबरामऊ, जालौन, कोंच, मउरानीपुर, राठ, मुबारकपुर, ओबरा, रेनूकूट के शहरी क्षेत्र।
अवर्गीकृत	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र।

- ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के सम्बन्ध में पुनरीक्षित पे-बैंड में अनुमन्य सम्बन्धित ग्रेड वेतन से है।
- ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य हैं।
- संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते हैं अथवा अपने निजी आवास में निवास करते हैं।
- यह आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू होंगे।
- अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।
- दिनांक 01.12.2008 से 31.07.2009 तक की अवधि के अवशेषों का आहरण कारपोरेशन के आदेश संख्या: 175-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०-08 दि० 19 फरवरी, 2009 के प्रस्तर-20 के अनुसार अनुमन्य कराया जाएगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

(Handwritten Signature)

(हरिश्चन्द्र सिंह)

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

(कमश: - 3)

संख्या : 177 (1)-काविनी एवं वे०प्र०-29/09, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा० ऊर्जा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव।
- 2- सचिव, (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- सचिव (वित्त), वित्त विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 4- अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 5- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ/केस्को, काचपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 9- समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 12- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
- 13- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 15- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 16- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 17- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मुख्यालय), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(4)

- 19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० - 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
- 20- कम्पनी सचिव, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को बैठक संख्या सतत्तर (55)/09 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

(बालकृष्ण भट्ट)
अपर सचिव